भारत में सभी सरकारी तथा सहायता प्राप्त विद्यालयों की स्थापना तथा व्यवस्था धर्मनिरपेक्षता के सिद्धान्त पर की जा रही है। इन शैक्षिक संस्थाओं में बिना किसी धार्मिक भेदभाव के प्रवेश दिया जाता है। कक्षाओं में जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है उनमें सभी धार्मिक सिद्धान्तों का ध्यान रखा जाता है। शैक्षिक संस्थाओं का वातावरण उदार बनाने पर बल दिया जाता है तथा शिक्षकों की आचार संहिता में धर्मनिरपेक्षता पर बल दिया जाता है।

न्याय

न्याय (Justice) के मूल अधिकार की अवधारणा अत्यन्त विस्तृत है। यह सब व्यक्तियों के बीच में तथा राज्य के बीच में न्यायपूर्ण सम्बन्धों की ओर केन्द्रित है। *संविधान में न्याय को निम्नलिखित भागों में बाँटा गया है*

सामाजिक न्याय

सामाजिक न्याय से तात्पर्य है समाज में सबको बराबरी का स्थान। यह प्रत्येक व्यक्ति को समाज में उचित स्थान प्राप्त करने का विश्वास दिलाता है। यह समान स्तर प्राप्त करने के लिए जो भी कठिनाइयाँ आती हैं, उन्हें दूर करने की प्रेरणा देता है।

सामाजिक न्याय के मूल अधिकार को प्रभावशाली बनाने के लिए संविधान में यह धारा प्रस्तुत की गई है कि "राज्य किसी भी नागरिक में भेदभाव, धर्म, प्रजाति, लिंग भेद या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा न ही इनमें से किसी के आधार पर कोई रुकावट या अयोग्यता जन आमोद-प्रमोद, रेस्तराँ, दुकान, होटल, कुओं, तालाबों एवं नहाने के घाटों इत्यादि के उपयोग पर लगाएगा। किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा के विरुद्ध कार्य करने को बाध्य नहीं किया जाएगा। केवल राज्य ही अनिवार्य सेवा के लिए किसी को बाध्य कर सकेगा, जैसा कि युद्ध के समय सैन्यकरण और ऐसा केवल राष्ट्र के लिए बिना किसी प्रजाति या जाति के भेदभाव के होगा। कोई भी नागरिक धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या निवास स्थान के आधार पर राज्य की सेवा में नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं समझा जाएगा।" सामाजिक न्याय यह भी स्पष्ट करता है कि यदि कोई भी अयोग्यता पिछड़े वर्गों पर जबरन लगाई जाएगी, तो यह कानून के खिलाफ होगी। हमारे संविधान ने एक बहुत महत्त्वपूर्ण परिवर्तन सामाजिक व्यवस्था में लाने की चेष्टा की है, इसमें अस्पृश्यता को कानून द्वारा रोक देने का प्रावधान किया गया है।

आर्थिक न्याय